संख्या- 11/2024/188/53-2099-930-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।
2. दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

**दुग्ध विकास अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2024**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान योजना की छठी किश्त की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश के संलग्नक में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-442/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ीकरण-सामान्य(281)/2023-24, दिनांक 26 फरवरी, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान योजना हेतु वित्त विभाग की सहमति से छठी किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-9/2024/136/006-53-2099-930-2019, दिनांक 21 फरवरी, 2024 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 1333.33 लाख एवं शासनादेश के संलग्नक(जनपदवार फाण्ट) में अंकित धनराशि रू0 1333.33334 लाख, में एकरूपता लाये जाने हेतु संशोधित जनपदवार फाण्ट उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/2024/136/006-53-2099-930-2019, दिनांक 21 फरवरी, 2024 के संलग्नक(जनपदवार फाण्ट) में अंकित धनराशि रू0 1333.33334 लाख को उपर्युक्त पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फाण्ट की धनराशि रू0 1333.33 लाख के अनुसार संशोधित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 21

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फरवरी, 2024 का संशोधित संलग्नक/जनपदवार फाण्ट संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक : यथोक्त।**

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 11/2024/188/53-2099-930-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
10- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0, शासन।
12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।